समक्ष विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम अलीगढ़ (मण्डल), अलीगढ़

उपस्थित :–

1. श्री अवधेश मल्ल, अध्यक्ष/सदस्य(न्यायिक)
2. श्री करण सिंह, सदस्य (तकनीकी)
3. श्री एस.सी. बहनीवाल, सदस्य (लाइसेन्सी)

अलीगढ़
दिनांक : 29/अप्रैल/2017

परिवाद संख्या 911/2017/Etah.

श्री अबरार मियां पुत्र श्री हबीब मियां,
निवासी–जामा मस्जिद के पास जी0टी0 रोड, डा0 एटा, जिला एटा।

बनाम

1. अधिशासी अभियन्ता, शहरी दक्षिणांचल विद्युत वितरण खण्ड–एटा।

निर्णय

परिवाद सं0 **911/2017/Etah.** दिनांक 21.01.2017 को फोरम में पंजीकृत किया गया। परिवादी ने परिवाद पत्र इस आशय से योजित किया कि परिवादी के पास जो विपक्षी ने बिना रीडिंग के आधार पर फर्जी रूप से विद्युत बिल रू0–2,01,158.00 का भेज दिया उसे निरस्त किया जाये। परिवादी के परिसर पर जो मीटर लगा हुआ है उस मीटर रीडिंग के आधार पर ही बिल दिलाया जाये, जिसको परिवादी जमा कर दे। परिवाद पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी के नाम घरेलू संयोजन सं0–216/84317, भार 2K.W स्वीकार किया गया। परिवादी के परिसर पर दिनांक 01.04.2016 को मीटर स्थापित किया गया था। परिवादी के संयोजन पर कनैक्शन ऊर्जीकृत के बाद मीटर स्थापित कर दिया गया। परिवादी को विपक्षी ने कोई बिल नहीं भेजा तथा, परिवादी को मीटर रीडिंग के आधार पर बिल देने का आश्वासन दिया। दिनांक 17.01.2017 को विद्युत विभाग के कर्मचारी उसको रू0 2,01,158.00 का विद्युत बिल दिया जो फर्जी व बिना मीटर रीडिंग के आधार पर है। परिवादी ने अपने परिवाद–पत्र के साथ मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र सं0–01/0904, दाखिल किया है।

सदस्य (तकनीकी)

29.4.17
सदस्य (लाइसेन्सी)

Awadhesh Mall
29.4.2017
मण्डल/सदस्य (न्यायिक)

क्रमशः–2

विपक्षी ने अपना लिखित अभिकथन दिनांक 01.04.2017 को फोरम में जमा किया। विपक्षी ने अपने लिखित कथन में बताया है कि, परिवादी के नाम संयोजन सं0–216/84317, दिनांक 11.07.2014 को स्वीकृत किया गया था, जिस पर परिवादी ने कोई विद्युत बिल जमा नहीं किया है, इसलिए ही परिवादी पर माह 02/2017 तक रू0 2,06,607.00 की धनराशि का विद्युत बिल बकाया हो गया है। परिवादी का यह परिवाद गलत व भ्रामक तथ्यों के आधार पर दाखिल किया है। विद्युत बिल की छायाप्रति विपक्षी ने अपने लिखित कथन के साथ संलग्न की है।

परिवादी ने अपना प्रतिउत्तर दिनांक 15.04.2017 को फोरम में दाखिल किया। परिवादी ने अपने प्रतिउत्तर में यह बताया है कि, विपक्षी का परिवादी द्वारा बिल जमा न करने का कथन असत्य है। विद्युत बिल रू0 2,06,607.00 बकाया के सम्बन्ध में विपक्षी ने परिवादी को कहीं यह नहीं बताया है कि, उसको कितनी यूनिट के आधार पर बिल बनाया है। परिवादी को जो बिल दिया गया है वह 1K.W के आधार पर है उसमें कोई मीटर रीडिंग नहीं दिखायी गयी है। माह 02/2017 में जो बिल दिखाया गया है, उसमें केवल 250 यूनिट दर्शायी गयी है। परिवादी के परिसर पर लगे संयोजन के मीटर में अब तक कितनी यूनिट बनी और एक यूनिट पर कितना चार्ज बनता है। यह कहीं नहीं दर्शाया गया है परिवादी ने अपने प्रतिउत्तर में मीटर रीडिंग के आधार पर बिल की मांग की गयी है।

उभयपक्षों की बहस को सुना गया तथा पत्रावली का अनुशीलन किया गया।

परिवादी ने अपनी बहस में बताया कि परिवादी के संयोजन पर मीटर लगाने के बाद विद्युत बिल मीटर रीडिंग के आधार पर तथा इसके पूर्व का विद्युत बिल मीटर रीडिंग के औसत के आधार पर बनाकर परिवादी को उपलब्ध कराया जाय। विपक्षी की अपने बहस में कहा है कि मीटर रीडिंग के आधार पर मीटर लगाने के बाद का विद्युत बिल तथा मीटर रीडिंग के औसत के आधार पर मीटर

सदस्य (तकनीकी)

Awadhesh Mall 29.4.2017

अध्यक्ष/सदस्य (न्यायिक)

सदस्य (लाइसेन्सी)

लगने के पूर्व का विद्युत बिल वह परिवादी को देने हेतु तैयार है। विपक्षी के अनुसार परिवादी का संयोजन दिनांक 11.07.2014 को स्वीकृत किया गया था। मीटर सीलिंग प्रमाण–पत्र (संलग्नक–7), के अनुसार परिवादी के परिसर पर मीटर दिनांक 01.04.2016 को स्थापित किया गया। उभयपक्ष सहमत हैं कि परिवादी को विद्युत बिल मीटर स्थापित की तिथि के बाद मीटर रीड़िंग के अनुसार तथा उसके पूर्व का विद्युत बिल मीटर रीड़िंग के औसत के आधार पर दिया जाना चाहिए।

आदेश

अतः विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि परिवादी के संयोजन पर मीटर स्थापित किये जाने की तिथि के पश्चात् का विद्युत बिल मीटर रीड़िंग के अनुसार तथा उसके पूर्व का विद्युत बिल मीटर रीड़िंग के औसत के आधार पर तैयार कराकर परिवादी को एक माह के अन्दर उपलब्ध करा दें।

सदस्य (लाइसेन्सी)
सदस्य (लाइसेन्सी)

सदस्य (तकनीकी)
सदस्य (तकनीकी)

Awadhesh Mall. 29-4-2017
अध्यक्ष / सदस्य(न्यायिक)
अध्यक्ष/सदस्य (न्यायिक)